बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 23 मार्च, 2011

संख्या –3/एम॰ –098/2010–सा॰ 821/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।– (i) यह नियमावली बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ**।– इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–
   (i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग;
   (ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
   (iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित जिला का समाहर्ता;
   (iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि; तथा
   (v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है; तथा
   (vi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
3. **संवर्ग की संरचना**।– लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी–

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर	वेतन वैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड–वेतन
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	पीबी–1	5200–20200	1900
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	पीबी–1	5200–20200	2400
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–1	5200–20200	2800
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–2	9300–34800	4600

टिप्पणी :– निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का वर्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

4. **संवर्ग बल**।– संवर्ग बल ऐसा होगा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।
5. **भर्ती**।– (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15% पद मैट्रिकुलेशन योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।
   (2) सभी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रिल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रिल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. **अर्हता।**– (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होगी।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय –समय पर निर्धारित की जाय।

7. **आरक्षण।**– भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती।**– (i) नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(ii) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा।**– प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि सतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधिविस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवमुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा।**– (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र – 1

सेवा नियमावली – बिहार सेवा संहिता, पेंसन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र – 2

वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. **सम्पुष्टि।**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता।**– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति** ।– (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगी–

(क) उप विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(ख) अपर समाहर्ता	–	सदस्य
(ग) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) स्थापना वरीय उपसमाहर्ता	–	सदस्य सचिव

14. **संवर्ग का स्तर** ।– यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। परन्तु, अचानक जरूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, स्थानान्तरित करने की शक्ति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) को होगी।

15. **अवशिष्ट मामले** ।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं; संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाई का निराकरण** ।– सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. **शिथिल करने की शक्ति** ।– जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

18. **निर्वचन** ।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।– (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –3/एम॰ –098/2010.....821...../ पटना–15, दिनांक 23 मार्च, 2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –3/एम॰ –098/2010.....821...../ पटना–15, दिनांक 23 मार्च, 2011

प्रतिलिपि – सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव (क्षेत्रीय स्थापना प्रभाग), सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।